न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 03/2017

सुरजीतसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी रानी बाजार, बीकानेर द्वारा ढाणी करनैलसिंह 2 जे0एम0डी0 खारा जिला बीकानेर – अपीलान्ट

बनाम

(1) उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत

(2) हरपाल कौर पत्नी स्वर्गीय सुरजीतसिंह
(3) गुरमीतसिंह पुत्र स्वर्गीय सुरजीतसिंह
(4) हरमीतसिंह पुत्र स्वर्गीय सुरजीतसिंह
(5) बसन्त कौर पुत्री स्वर्गीय सुरजीतसिंह

तथाकथित मृतक सुरजीतसिंह के वारिसान निवासीगण रानी बाजार, बीकानेर हाल आबाद बहाववाला, तहसील अबोहर — रेस्पोडेण्ट्स

(6) उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, बीकानेर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री कुलदीप जनसेवी, अभिभाषक – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री करणसिंह, अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर से
3. पेरोकारराज राज्य की ओर से – कोई नहीं

–: आदेश :–

दिनांक :– 12–07–2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत की आज्ञा दिनांक 15–11–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08–02–2017 को प्रस्तुत की गई हैं।

(2) संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रोही शोभासर उपनिवेशन तहसील, कोलायत स्थित खेत खसरा नम्बर 190 तादादी 63 बीघा कृषि भूमि का खातेदार सुरजीतसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन रानीबाजार, बीकानेर था। उक्त खातेदार सुरजीतसिंह पुत्र प्रीतमसिंह की मृत्यु के उपरान्त उसकी फौतगी का विरासतन के आधार पर आक्षेपाधीन इन्तकाल संख्या 190 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के नाम उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत ने दिनांक 15–11–2016 को स्वीकृत कर दिया। इसी आदेश से रूष्ट होकर अपीलार्थी

सुरजीतसिंह ने स्वयं को जीवित बताते हुए तथा अपील में निहित कृषि भूमि अपनी इन्द्राजित खातेदारी एवं कब्जा काश्त व धारण में होनी बयान करते हुए आदेश मातहत अदालत न्याय, नियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं मिसाल रिकार्ड के विपरीत अवैध, अनियमित एवं इललीगल रूप से पारित किये जाने से निरस्तनीय होना बताया। अपील प्रार्थना पत्र में यह भी लिखवाया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर साजिसाना तौर पर कूटरचित एवं बनावटी दस्तावेजों के आधार पर मृतक बताते हुए अपीलान्ट का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र तैयार कर अपने आपको अपीलान्ट के कथित वारिसान बनकर आदेश इन्तकाल जैर अपील अवैध रूप से हासिल कर लिये जो अपीलान्ट के खातेदारी हकूकों के सम्मुख प्रभावहीन, बेअसर व नानेस्ट है। अपील मीमो में आगे मियाद के बिन्दु पर अभिवचन करते हुए दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा साथ ही फेहरिस्त दस्तावेजात के साथ संलग्न अभिलेख प्रस्तुत किये। अन्त में अपील को स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा को निरस्त करने का निवेदन किया।

(3) अपील प्रार्थना पत्र के रेस्पोडेन्टान को नोटिस भिजवाये गये व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। श्री राधाकिशन स्वामी, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की ओर से दिनांक 06–03–2017 को उपस्थित आकर अपना अभिभाषक पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दिनांक 15–03–2017 को श्री प्रहलाद कश्यप, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की ओर से उपस्थित आकर अपना वकालतनामा पेश किया एवं साथ ही जवाब अपील व उसके समर्थन में शपथ पत्र इत्यादि न्यायालय में प्रस्तुत किये। उन्हें रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिस पर अपीलार्थी के योग्य वकील श्री कुलदीप जनसेवी ने अपनी सहमति बाबत लिखित लेख प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर से अंकित कर दिया। श्री राधाकिशन स्वामी, एडवोकेट जो दिनांक 20–03–2017 को न्यायालय में उपस्थित आए और रेस्पोडेन्टान की ओर से अपने द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा हिदायत पैरवी के निर्देश नहीं होने से विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 03–05–2017 को श्री करणसिंह तंवर, एडवोकेट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्री गुरमीतसिंह व रेस्पोडेन्ट नं. 4 श्री हरमीतसिंह की ओर से एवं दिनांक 16–05–2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की ओर से अपना वकालतनामा न्यायालय में पेश किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की ओर से पूर्व

में दिनांक 15–03–2017 को प्रस्तुत जवाब अपील व शपथ पत्रों को अपीलान्ट के प्रभाव व पुलिस के खौफ से प्रस्तुत कर दिये जाने से उन्हें वापिस प्रार्थीगण–रेस्पोडेन्टान को लौटाये जाने अथवा रिकार्ड पर नहीं लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक को दिलवाई गई। अपीलार्थी की ओर से दिनांक 30–05–2017 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया तथा साथ ही फेहरिस्त दस्तावेजात के संलग्न अभिलेख भी पेश किये।

(4) हमने बहस योग्य अभिभाषक अपीलार्थी एवं योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 लौटाने/रिकार्ड पर न लेने जवाब अपील मय शपथ पत्र तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य/दस्तावेजात को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने एवं बहस अन्तिम दिनांक 20–06–2017 को अपील सुनी गई व मजीद बहस दिनांक 11–07–2017 को सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट जीवित है फिर भी रेस्पोडेन्ट ने उन्हें मृत बताकर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जो निरस्त योग्य है। जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट्स के वकील ने कथन किया कि अपीलान्ट ने अपना पता अलग–अलग स्थान पर अलग–अलग लिखा है। वास्तव में ये कहां के है, विरोधाभाषी है। अपील मीमो पर न्यायालय का नाम सही नहीं है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। साथ ही सुरजीतसिंह के द्वारा प्रस्तुत भगवानसिंह के शपथ पत्र में भगवानसिंह ने अपने आपको विक्रय की गई भूमि का स्वामी बताया है जबकि यह भूमि भगवानसिंह की नहीं थी। इस प्रकार अपील खारिज योग्य है। जवाब बहस में वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपील में मियाद के विषय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार कर ही अपील दर्ज करने के आदेश दिये गये है। अब यह एतराज चलने योग्य नहीं है। सही न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो स्वीकार किया जाकर अपील दर्ज करने के आदेश दिये जा चुके है। ऐसी स्थिति में यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(5) योग्य अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 श्री करणसिंह तंवर ने जवाब अपील व शपथ पत्रों को लौटाये जाने के सम्बन्ध में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि जवाब अपील रेस्पोडेन्टान के अभिभाषक श्री कश्यप ने अपीलार्थी के कहने एवं प्रभाव में आने से रेस्पोडेन्टान द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिये गये थे जबकि जवाब अपील में क्या कथन किये गये थे, इनकी जानकारी रेस्पोडेन्टान को नहीं थी। प्रस्तुत अपील को मंजूर करवाने की सहमति रेस्पोडेन्टान द्वारा नहीं

दी गई, ना ही है। अतः ऐसी स्थिति में जवाब अपील उन्हें लौटाये जावे अथवा उन्हें "डी" पार्ट करने का आदेश दिया जावे।

(6) इस बहस का विरोध करते हुए अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक श्री कुलदीप जनसेवी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व वेग है क्योंकि जवाब अपील उन्होंनें अपने हस्ताक्षरों से तथा न्यायालय में स्वयं उपस्थित आकर प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी के दबाव व पुलिस के खौफ होने का कहकर इस आधार पर इसे वापिस लेने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंनें बताया कि जवाब अपील रेस्पोडेन्टान के स्वयं के प्रस्तुत शपथ पत्रों से समर्थित है जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील जवाब इत्यादि लौटाये जाने का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य ही नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

(7) हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत परस्परी विरोधी तर्कों पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। हम योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–अप्रार्थी की इस बहस से सहमत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने जो जवाब अपील पेश किया था, वो उनके स्वयं के शपथ पत्रों से समर्थित है जबकि उन्हें वापिस लौटाये जाने अथवा रिकार्ड पर नहीं रखे जाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी शपथ पत्र से समर्थित नहीं है जो हमारी राय में कानूनन संधारण योग्य नहीं पाया जाता है तथा इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य बन जाता है।

(8) अतिरिक्त साक्ष्य को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने की अपनी आपत्ति पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के योग्य अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपील के साथ एवं दौराने अपील जो दस्तावेजात अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है, वह किसी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का यथोचित आधार नहीं बताया गया है और ना ही न्यायालय से इसकी अनुमति ली गई है। ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की अवहेलना में प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर नहीं रखे जावे तथा ना ही इन्हें निर्णय का आधार ही बनाया जा सकता है। उन्होंनें अपने पक्ष कथन के समर्थन में 2004 आर0बी0जे0 पेज 567, 568, 2000 आर0बी0जे0 पेज 497, 2002 आर0बी0जे0 पेज 503 एवं 2017 वोल्यूम–I, सी0सी0सी0 पेज 277 विधि दृष्टान्त हमारे नजदीक प्रस्तुत किये तथा बताया

(5)

कि इन कानूनी नजीरों की मौजूदगी में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य (दस्तावेजात) को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता।

(9) इस बहस के जवाब में योग्य अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी जीवित होते हुए भी उसे मृत बताकर अधीनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेन्ट ने इन्तकाल अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया तो ऐसी सूरत में वे तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं रहे जिससे सबूत पेश करने का मौका उन्हें नहीं मिला और ऐसी स्थिति में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उनका अधिकार है जैसा कि आदेश 41 नियम 27 (कक) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रावधित है। इसके अलावा ये भी कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात महत्वपूर्ण, लोक दस्तावेज तथा सद्भाविक है जो न्यायालय को अपील के अन्तरविलित प्रश्नों के समाधान हेतु मदद करने वाले है। उन्होंनें यह भी कहा कि इन दस्तावेजातों के रिबेटल का मौका रेस्पोडेन्टान को भी दिया जायेगा तो उन्हें कोई आपत्ति इस बाबत नहीं की जानी चाहिये।

(10) उभयपक्ष को सुनकर विचारण करने पर हमारी सुविचारित राय में अतिरिक्त साक्ष्य अपील के स्तर पर तभी पेश किये जा सकते है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इन्कार कर दिया जो ग्रहणयोग्य हो अथवा पक्षकार सम्बन्धित सम्यक तत्परता का ध्यान रखने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता हो या वह इसे उस समय पेश नहीं कर सकता था। इस दृष्टि से जब हम इस प्रकरण को देखते है, तो पाते है कि अपीलार्थी तहसीलदार के समक्ष पक्षकार ही नहीं था तो वह सबूत कैसे पेश कर सकता था। अतः रेस्पोडेन्टान के वकील की यह आपत्ति बलहीन होने से काबिले इखराज है जो खारिज की जाती है। अब देखना यह है कि आया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जो ग्रहणयोग्य है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में हम पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात में से ग्राम शोभासर की सम्वत 2072 से सम्वत 2073 की खसरा गिरदावरी ही प्रमाणित नकल के रूप में पेश हुई है जबकि इसके अलावा सभी दस्तावेजात फोटो प्रतियों के रूप मे है जो साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अग्राह्य है तथा इन्हें नहीं पढा जा सकता और ना ही इसके आधार पर कोई निर्णय ही किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन की पृष्ठ भूमि को देखते हुए रेस्पोडेन्टान के योग्य वकील द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण में लागू नहीं की जा सकती है।

(11) जहां तक अपील के गुणावगुण पर निर्णय लेने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपने--अपने

पक्ष में किये गये कथनों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपाधीन इन्तकाल एवं इसके आधार पर प्रस्तुत अभिलेखों को बगौर देखा गया जो वारिस प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ही पंजाबी भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद कर इसे नोटेरी अधिवक्ता श्री रूपेन्द्रसिंह ने तस्दीक किया है, उसमें अनुवाद सही होना अंकित किया गया है। तथ्य इस बात के आने चाहिये कि अनुवादक हिन्दी व पंजाबी भाषा का भली भांति रूप से जानकार हो। इस बाबत अनुवादक का शपथ पत्र लेकर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों की अन्तर्वस्तु सही होने पर ही तहसीलदार को इन्तकाल तस्दीक करना चाहिये था। बिना किसी जांच के दस्तावेजों को साबित किये बिना उसे आधार अभिलेख मानकर इन्तकाल तस्दीक करना कानूनी रूप से अवैध होने से तस्दीक किया गया इन्तकाल कानून की निगाहों में दूषित हो जाता है। इसके अलावा इन्तकाल के कॉलम संख्या 7 में सुरजीतसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी रानीबाजार अंकित है तथा ये ही इन्द्राज सम्वत 2072 से सम्वत 2073 की खसरा गिरदावरी में है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 गुरमीतसिंह ने उपनिवेशन तहसीलदार के समक्ष विरासतन के आधार पर वारिसान के नाम इन्तकाल खोले जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20–10–2016 को प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी श्री गुरमीतसिंह पुत्र सुरजीतसिंह उर्फ सरवनसिंह गांव बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का लिखा है जिसमें प्रार्थी ने अपनी जाति का अंकन नहीं किया है तथा सुरजीतसिंह के नाम के आगे उर्फ सरवनसिंह का अंकन किया है जो मौजूदा राजस्व रिकार्ड से बिलकुल ही मेल नहीं खाता तथा विरोधाभाषी है। तहसीलदार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक 2245 दिनांक 04–11–2016 का अवलोकन करने से भी इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच की गई, प्रकट नहीं होती है जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां पत्रावली पर जिस रूप में प्रस्तुत हुई है, वह प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। अपीलार्थी द्वारा जो तथ्य रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब में बताये गये है यथा सुरजीतसिंह अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1996 में इसके पूर्व खातेदार भगवानसिंह द्वारा उसके पक्ष में उक्त जमीन का अन्तरण पंजीकृत बैयनामे से किया जाना तथा अपीलार्थी द्वारा अपने आप को जीवित बताया जाना तथा रेस्पोडेन्टान द्वारा अपने द्वारा किये गये इन्तकाल की कार्यवाही को निरस्त करने की अपनी सहमति जवाब अपील में दी है। ये भी संदेहास्पद स्थिति है कि रेस्पोडेन्टान के द्वारा उनके पिता सुरजीतसिंह का देहान्त वर्ष 2003 में हो गया तथा उसकी फौतगी का इन्तकाल करीब 13 वर्ष पश्चात खुलवाया गया है। जवाब अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5

(7)

द्वारा की गई स्वीकारोक्ति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः हम इस अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण स0 1147 दिनांक 15–11–2016 निरस्त की जाती है तथा पत्रावली उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत को प्रति प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जांच करते हुए विधिसम्मत निर्णय लिया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12–07–2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर